

## प्रेस-विज्ञप्ति

## थाना-तहबरपुर

## अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद को अपराध मुक्त किये जाने के मद्देनजर चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देशन में मुझ प्रभारी निरीक्षक शत्रुघ्न कुमार के नेतृत्व में कल दिनांक 27.05.2021 को उ०नि० अंजनी सिंह मय हमराह का० जैश गुप्ता देखभाल क्षेत्र चेकिंग वाहन / संदिग्ध व्यक्ति करता हुआ कस्बा सेमरी (पंडिताईन की पुलिया) पर मौजूद था कि क्षेत्र में मौजूद का० योगेन्द्र कुमार पाल, का० रवि कुमार गौड़ तलबिदा शुदा उपस्थित आये हम लोग आपस में अपराध एवं अपराधियों के बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदेह जनक स्थिति में ग्राम करियावर के पास सिक्स लेन अण्डर पास के नीचे खड़ा है । इस सूचना पर उ०नि० मकसद हमराहियान बताते हुए पुलिस बल के साथ सिक्स लेन अण्डर पास के पास वहद ग्राम करियावर पहुंचा जहाँ पहले से मौजूद व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखते ही तेज कदमों से अण्डर पास से उत्तर की दिशा में जाने लगा जिसे रोकते टोकते हुए अण्डर पास के उत्तरी किनारे पर घेरकर समय 14.00 बजे पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते अपना नाम विपिन यादव पुत्र शम्भू नाथ यादव निवासी सुदनीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बताया । जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद कट्टा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 40/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**\*पंजीकृत अभियोग\***

मु०अ०सं० 40/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर, आजमगढ़

**\*गिरफ्तार अभियुक्त\***

विपिन यादव पुत्र शम्भू नाथ यादव ग्राम सुदनीपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़

**\*बरामदगी\***

एक अदद अवैध तमंचा व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम\***

उ०नि० अंजनी सिंह मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ।

## थाना- महाराजगंज

**20 ली० अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

अवैध शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 28.5.21 को उ०नि० राजेश प्रसाद मय हमराही का० अंकित मिश्रा के देखभाल क्षेत्र , संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग तलाश वारन्टी में कस्बा महाराजगंज में मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति परशुरामपुर से महाराजगंज की तरफ अवैध शराब लेकर आ रहा है इस सूचना पर उ०नि० व मय हमराही मय मुखवीर के साथ रामपुर कटया

पेट्रोल पम्प के पास आड़ लेकर आने-जाने वाले व्यक्ति कि निगरानी करने लगे कुछ ही देर में एक व्यक्ति हाथ में पिपिया लिये हुए परशुरामपुर की ओर से आता दिखाई दिया पिपिया लेकर आता हुआ व्यक्ति ज्यों हि रामपुर कटया पेट्रोल पम्प पर पहुँचा कि पुलिस बल द्वारा घेर कर समय 11.40 बजे पकड़ लिये। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम तुफानी सैनी S/O रामलखन सैनी ग्राम-इन्द्रानगर कस्बा महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया दाये हाँथ मे लिये पिपिया के बारे में पुछा गया तो बताया कि पिपिया में 20 लीटर अवैध शराब है हम इसे बेचने जा रहे थे इसे बेच कर परिवार का जीवनयापन करते है। पिपिया का ढक्कन खोल कर सुंघा गया तो उसमें शराब जैसी गन्ध आ रही थी। जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/21 धारा 60 Ex. Act पंजीकृत कर अग्रीम कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त**

तुफानी सैनी पुत्र रामलखन सैनी ग्राम-इन्द्रानगर कस्बा महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### **पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0सं0 161/21 धारा 60 Ex. Act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### **बरामदगी**

20 ली0 अवैध शराब

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

उ0नि0 राजेश प्रसाद मय हमराह का0 अंकित मिश्रा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

### **थाना-निजामाबाद**

#### **नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के अभियोग में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.05.21 को थाना क्षेत्र निजामाबाद निवासिनी एक महिला ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरी पुत्री बगीचे में गई थी जिसके साथ लालजीत सोनकर उर्फ साधू पुत्र स्व0 सीताराम साकिन परसहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा छेड़खानी की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/21 धारा 354(ख) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशकर सिंह मय हमराहीयान के कोविड कोरोना के गाइडलाइन के अनुपालन मे सब्जी मण्डी कस्बा निजामाबाद मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त लालजीत सोनकर उर्फ साधू पुत्र स्व0 सीतारामसाकिन परसहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान के अभियुक्त के घर पर पहुचे तो अभियुक्त पुलिस बल को देखकर भागना चाहा जिसे घेरकर मौके पर ही समय करीब 08.40 बजे सुबह पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम लालजीत सोनकर उर्फ साधू पुत्र स्व0 सीतारामसाकिन परसहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तार अभियुक्त को उसको अपराध से बोध कराते हुए चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### **पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0सं0 115/21 धारा 354(ख)भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

### **गिरफ्तार अभियुक्त**

लालजीत सोनकर उर्फ साधू पुत्र स्व0 सीतारामसाकिन परसहा थाना निजामाबाद आजमगढ़

### **गिरफ्तार करने वाली टीम**

प्रभारी निरीक्षक श्री शिवशकर सिंह मय हमराहीयान थाना निजामाबाद जनपद आमजगढ़

## थाना-फूलपुर

### दो नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.05.2021 राजदेव पुत्र कन्हैयालला साकिन जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए लाठी, डण्डा एवं धारदार हथियार से मुझे तथा परिजनों पर हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिये जिससे सभी मजरूबानों का मौके पर बेहोश हो जाना तथा इलाज के दौरान जाते समय भतीजे दीपक की मृत्यु हो गयी व धमकी देने के सम्बन्ध में शिकायत कि जिसके अधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/21 धारा 147,148,149,323,352,307,308,304,504,506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़ बनाम 1. अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 गोला आदि 09 नफर नामजद के पंजीकृत कर विवेचना निरी0 अपराध श्री अवधेश कुमार अवस्थी को सुपुर्द हुआ था। उक्त मुकदमा मे पूर्व में ही 06 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चालान किया जा चुका है।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक श्री रत्नेश कुमार सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.2021 को मुखबीर खास की सूचना के अधार पर निरी0अपराध श्री अवधेश कुमार अवस्थी मय हमराही द्वारा उपरोक्त मुकदमे में वांछित 02 नफर अभियुक्त 1. अशोक 2. अरविन्द कुमार पुत्रगण स्व0 गोला साकिनान जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ को जगदीशपुर पेट्रोल पम्प के पास से समय करीब 07.40 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त अशोक कुमार की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाडी को बरामद किया गया तत्पश्चात गिरफ्तार अभियुक्तगणो का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### सम्बन्धित मुकदमा

मु0अ0सं0 74/21 धारा 147,148,149,323,352,307,308,304,504,506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त

1. अशोक कुमार पुत्र स्व0 गोला निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़
2. अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 गोला निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़

### बरामदगी

घटना में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाडी

### गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम

1. निरी0अपराध श्री अवधेश कुमार अवस्थी मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।